AAE-2(H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

अक्तूबर, 2011

सेवा नियम (पुस्तको सहित)

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंक : 65

अनुमत पुस्तकें :

- 1. मूल नियमों एवं पूरक नियमों का संकलन, खंड-। तथा ॥
- 2. केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944
- 3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972
- 4. परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम
- 5. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972
- 6. छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- 7. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960
- 8. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह वीमा स्कीम 1980
- 9. पुनः नियोजित पंशन भोगियों को पंशन दिए जाने संबंधी आदेश

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. यात्रा भत्ता विल फार्म (स्थानांतरण पर)

टिप्पणियां :

- (1) इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न और 4 पृष्ठ हैं।
- (2) प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए।
- (3) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों के संबंधित प्रावधानों (जहां लागू हो) का उल्लेख करें।
- निम्नलिखित ब्योरे से अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन का संराशीकृत मूल्य, परिवार पेंशन और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन ज्ञात कीजिए:- (20 अंक)
 - 1. जन्म की तारीख: 06.04.1951
 - 2. कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में सरकारी सेवा शुरू की : 29.10.1977 (अपराह्न)

- 3. 31.08.2009 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड ₹37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹10,000 में मुख्य इंजीनियर के रूप में पदोन्नित हुई और उसका वेतन ₹48,810 जमा ग्रेड वेतन ₹10,000 नियत किया गर्या और अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2010 निर्धारित की गई।
- 4. अधिकारी 01.05.2003 से 27.09.2003 तक 150 दिन के असाधारण अवकाश पर रहा (सेवा-पुस्तिका में कोई विशिष्ट प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है)। 01.04.2008 से 31.12.2008 तक उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए असाधारण अवकाश मंजूर किया गया।
- 5. अधिकारी की अधिवर्षिता की तारीख को उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। तथापि, अधिकारी ने पहली बार 31 मई, 2011 को कानूनी रूप से विवाह किया था। उसकी पत्नी की जन्म की तारीख 06.06.1950 है।
- 6. 01.01.2011 से मंहगाई भत्ता 51% की दर पर है। अधिकारी ने अपनी पेंशन का 40% संराशीकृत किए जाने का आवेदन दिया। ₹1 प्रति वर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण मुल्य 8.194 है जब सेवानिवृत्ति पश्चात अगला जन्म दिन 61 वर्ष पर है।
- 7. परिवार पेंशनधारक के लिए अतिरिक्त पेंशन ज्ञात नहीं की जानी है।
- 2. निम्नलिखित ब्योरे से एक सरकारी अधिकारी को उसके बेंगलुरू से दिल्ली स्थानांतरण पर स्वीकार्य स्थानांतरण यात्रा भत्ते की गणना कीजिए:- (15 अंक)

अधिकारी ने बेंगलुरू में 1 मई, 2011 को कार्यभार सौंपा। वेतन बैंड 4 - (₹37,400-67,000) में वेतन ₹41,000 प्रतिमाह जमा ग्रेड वेतन ₹10,000 है।

परिवार का ब्योरा:- पत्नी, एक 21 वर्षीय पुत्र जिसे ₹8,000 प्रतिमाह वृत्तिका प्राप्त हो रही है और वह सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा है, एक विवाहित पुत्री, एक 16 वर्षीय पुत्र और एक 15 वर्षीय भाई। अंतिम तीन सदस्य पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं और उसके साथ रह रहे हैं।

यात्रा:- अधिकारी, पत्नी, पुत्री और भाई ने एयर इंडिया से किफायती श्रेणी में यात्रा की। विमान का किराया 5 मई, 2011 को ₹7,500 प्रति टिकट है। पुत्रों ने बेंगलुरू से दिल्ली की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में की जो 3 मई, 2011 को 2020 बजे बेंगलुरू से रवाना हुई और 5 मई, 2011 को 0550 बजे दिल्ली पहुंची। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का रेल किराया ₹4,500 प्रति टिकट है।

व्यक्तिगत सामान:- घर का 6000 कि.ग्रा. सामान एकल कंटेनर द्वारा द्वार से द्वार तक ले जाया गया और रेलवे को ₹18,000 अदा किए गए। कारः- अधिकारी की कार ट्रक में लादकर बेंगलुरू से दिल्ली (दूरी 2294 कि.मी.) ले जाई गई जिसके लिए अधिकारी ने परिवहन कम्पनी को ₹22,000 अदा किए। स्थानीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित टेक्सी की निर्धारित दर ₹16 प्रति कि.मी. है। यात्री गाड़ी से कार का परिवहन प्रभार ₹12,000 है।

- 3. (क) निम्नलिखित ब्योरे से दिल्ली में तैनात एक सरकारी कर्मचारी को 30.04.2011 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर उसकी सेवानिवृत्ति पर देय अप्रयुक्त छुट्टी के बदले में एकमुश्त दी जाने वाली रोकड़ अदायगी ज्ञात कीजिए:- (10 अंक)
 - (i) 30.04.2011 को खाते में जमा अर्जित छुट्टी 230 दिन
 - (ii) 30.04.2011 को खाते में जमा अर्ध वेतन छुट्टी 220 दिन
 - (iii) दिसम्बर, 2009 के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेते समय उसने 10 दिन की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण कराया।
 - (iv) ₹15,600-39,100 के वेतन बैंड में वेतन ₹15,600 प्रति माह जमा ग्रेड वेतन ₹7,600. मंहगाई भत्ता 51% और मकान किराय भत्ता 30% की दर पर।
 - (ख) निम्निलखित ब्योरे से वह तारीख ज्ञात कीजिए जब एक सरकारी कर्मचारी का स्टेशन 'ए' से स्टेशन 'बी' को स्थानांतरण होने पर अनुमत्य कार्य ग्रहण समय का उपयोग करने के बाद वह नए स्टेशन 'बी' पर कार्य ग्रहण करेगा जिसमें उसका घर बदला जाना भी शामिल है:-

सड़क यात्रा 170 कि.मी. रेल यात्रा 940 कि.मी. सड़क यात्रा 100 कि.मी.

यात्रा सीधे मार्ग से की गई। उसने स्टेशन 'ए' स्थित पिछले मुख्यालय में पिछले पद का कार्यभार 6 मई (अपराह्न) को छोड़ा। 7, 18 से 20 मई छुट्टियां हैं।

4. (क) एक सहायक लेखा नियंत्रक की 25.04.2007 से ₹6,600 के ग्रेड वेतन सहित ₹15,600-39,100 के वेतन बैंड 3 में उप लेखा नियंत्रक के रूप में पदोन्नित होने पर उसका वेतन निर्धारित कीजिए। अधिकारी, सहायक लेखा नियंत्रक के रूप में 01.01.2006 से ₹15,600-39,100 के वेतन बैंड 3 में ₹22,560 जमा ₹5,400 ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा था और उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2006 थी। उसने अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण का विकल्प दिया।

(10 अंक)

- (ख) एक निलम्बित सरकारी कर्मचारी के गुजारा भत्ते से निम्नलिखित वसुलियां की जा रही थीं:- (5 अंक)
- 1. मकान किराया और पानी एवं बिजली के सम्बद्ध प्रभार
- 2. सीजीएचएस के अंतर्गत अंशदान
- 3. सामान्य भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम की वापसी
- 4. सरकार को हुई हानी की वसूली जिसके लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार है। सरकारी कर्मचारी ने आहरण और संवितरण अधिकारी से अनुरोध किया कि उसके गुजारा भत्ते से उपर्युक्त कटौतियां न की जाएं क्योंकि उसने इसके लिए लिखित सहमति नहीं दी है। कृपया टिप्पणी कीजिए।
- 5. (क) न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (1) या खंड (2) की अपेक्षाओं का पालन न किए जाने के एकमात्र आधार पर एक सरकारी कर्मचारी की वर्खास्तगी को रद्द कर दिया। उसे गुण के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा उसकी वर्खास्तगी की अविध के लिए अदा किए जाने वाले वेतन और भत्तों की मात्रा के बारे में कोई निदेश नहीं दिया गया। सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया कि सरकारी कर्मचारी को वेतन और भत्तों की पूरी राशि अदा की जाए। कृपया टिप्पणी कीजिए।

(ख) एक अभिदाता जो अचानक गायब हो गया और उसके परिवार को उसका पता-ठिकाना मालूम नहीं है उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा हुई राशि की अदायगी के लिए

नियमों या आदेश में शामिल प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। (7 अंक)

6. (क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा एक बार घोषित की गई और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई जन्म की तारीख बदली जा सकती है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में जन्म की तारीख बदली जा सकती है? (8 अंक)

(ख) एक सरकारी कर्मचारी को 2006 के बाद किसी विशेष वर्ष में 1 जनवरी को पदोन्नित पर विशेष ग्रेड में किसी पद पर कार्यभार ग्रहण करना था। उसने 3 जनवरी को केवल इसलिए कार्यभार ग्रहण किया क्योंकि उस वर्ष 1 और 2 जनवरी को क्रमशः रविवार और राजपत्रित अवकाश था। केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के अनुसार वह वेतन वृद्धि कब प्राप्त करेगा?

AAE - 2(E)

ASSISTANTACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

OCTOBER, 2011

SERVICE RULES (With Books)

Time Allowed: 2 Hours

Maximum Marks: 65

Books allowed:

- 1. Compilation of FRs and SRs Vol.I and II.
- 2. Central Service (Medical Attendance) Rules 1944.
- 3. Central Civil Services (Pension) Rules 1972.
- 4. Defined Contributory Pension Scheme.
- 5. Central Civil Services (Leave) Rules 1972.
- 6. Leave Travel Concession Rules.
- 7. General Provident Fund (CS) Rules 1960.
- 8. Central Government Employees Group Insurance Scheme 1980.
- 9. Pension to Re-employed Pensioners.

Forms to be supplied:

TA Bill Form (Transfer)

Note: 1. This question paper contains 4 pages and has 6 questions.

- 2. Question No.1 and 2 are compulsory. Attempt any two of the remaining questions.
- 3. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner and invite reference to the relevant provisions of Rules (wherever applicable).
- 1. Calculate the superannuation pension, retirement gratuity, commuted value of pension, family pension and additional pension on attaining the age of 80 years from the following particulars: (20 marks)
 - 1. Date of Birth

06-04-1951

- 2. Joined Govt. Service as J.E. 29-10-1977 (AN)
- 3. Promoted as Chief Engineer w.e.f. 31-08-2009 (FN) in Pay Band ₹37,400-67,000+GP ₹10,000 and his pay was fixed @ ₹48,810 plus GP ₹10,000 with DNI 01-07-2010.

- 4. He availed 150 days Extraordinary leave w.e.f. 01-05-2003 to 27-09-2003 (No specific entry is available in the service book). Extraordinary leave granted for prosecuting higher technical and scientific studies from 01-04-2008 to 31-12-2008.
- 5. He had no family member on the date of his superannuation. However, he got legally married for the first time on 31st May, 2011. His wife's date of birth is 06-06-1950.
- 6. DA w.e.f. 01-01-2011 is @ 51%. He applied for commutation of 40% of his pension. Commutation value for a pension of ₹1 per annum is 8.194 when age next birthday is 61 years.
- 7. Additional pension is not to be calculated for family pensioner.
- Calculate the transfer travelling allowance admissible to a government officer on his transfer from Bengaluru to Delhi from the following particulars: (15 marks)

He made over charge at Bengaluru on 1ast May, 2011

Pay ₹41,000 pm plus GP ₹10,000 in Pay Band 4 - (₹37,400-67,000).

Details of family: Wife, one 21 year old son getting a stipend of ₹8,000 pm and residing with the government servant, one married daughter, one 16 year old son & one 15 year old brother. The last three are wholly dependent and residing with the government servant.

Journey: He, wife, daughter & brother travelled by Air India in Economy class. Air fare is ₹7,500 per ticket on 5th May, 2011. The sons travelled from Bengaluru to Delhi by Rajdhani Express in AC First Class which left Bangaluru at 2020 hours on 3rd May, 2011 and reached Delhi at 0550 hours on 5th May, 2011. AC First Class rail fare is ₹4,500 per ticket.

Personal effects: 6000 Kg of household goods transported by single container from door to door and paid ₹18,000 to Railway.

Car: The officer's car was transported from Bengaluru to Delhi (distance 2294 Km) loaded in a truck for which he paid ₹22,000 to the transport company. Prescribed rate approved by local transport authority for taxi is ₹16 per km. Transportation charges of car by passenger train is ₹12,000.

- 3. (a) Calculate the lump sum cash payment in lieu of unutilized leave due to a government servant posted in Delhi on his retirement on attaining the age of superannuation on 30/4/2011 with the following particulars:-
 - (i) Earned leave at credit on 30/04/2011 ----- 230 days.
 - (ii) Half Pay leave at credit on 30/04/2011 ----- 220 days.
 - (iii) He encashed 10 days EL at the time of availing LTC during December, 2009.
 - (iv) Pay ₹15,600 pm plus Grade Pay ₹7,600 in the Pay Band of ₹15,600-39,100. DA @ 51%, HRA 30%.
 - (b) Work out the date on which a Government Servant will join new station 'B' after availing permissible joining time on his transfer from Station 'A' to station 'B' involving change of residence from the following particulars:-

(5 marks)

Road Journey 170 km Rail Journey 940 km Road Journey 100 km

Journey performed by direct route. He made over charge of old post at old headquarter at station 'A' on 6th May (AN). 7th, 18th to 20th May are holidays.

4. (a) Fix pay of an Assistant Controller of Accounts on his promotion as Deputy Controller of Accounts w.e.f. 25-04-2007 in the Pay Band 3 of ₹15,600-39,100 with the Grade Pay ₹6,600. He was drawing pay w.e.f. 01-01-2006 @₹22,560 plus Grade Pay 5,400 with DNI on 01-07-2006 in the Pay Band 3 of ₹15,600-39,100 as Assistant Controller of Accounts. He opted for fixation of pay from the date of next increment.

(10 marks)

- (b) The following recoveries were being made from the subsistence allowance of a suspended government servant. (5 marks)
 - House Rent and allied charges toward water & electricity,
 - Contribution under CGHS,

- 3. Refund of advance taken from GPF
- 4. Recovery of loss to Government for which government servant is responsible.

The Government servant requested the DDO that the above recoveries may not be made from his subsistence allowance as he has not given a written consent for the same. Please comment.

- 5. (a) The court set aside dismissal of a government servant solely on the ground of non compliance with the requirements of clause (1) or clause (2) of Article 311 of the Constitution. He was not exonerated on merit. No direction was given by the court about the quantum of pay & allowances to be paid for the period of dismissal. The competent authority ordered that the government servant be paid full amount of pay & allowances. Please comment. (8 marks)
 - (b) Explain the provisions contained in rules or orders for payment of the accumulation in the GPF Account of a subscriber who suddenly disappeared and whose whereabouts are not known to his family.

 (7 marks)
- 6. (a) Can a date of birth once declared by the government servant and accepted by the appropriate authority be altered? If so, what are the conditions under which the date of birth can be altered?

 (8 marks)
 - (b) A Government servant was to join a post in a particular grade pay on promotion on 1st January of a particular year after 2006, he joined the post on 3rd January only because 1st & 2nd January of that year were Sunday & Gazetted holiday. When he will get increment in accordance with CCS (RP) Rules 2008?

(7 marks)